NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में युवा आत्महत्या: जब दमनकारी परिस्थितियाँ व्यक्तियों को जीवन का परित्याग करने हेतु बाध्य कर देती हैं

www.nextias.com

भारत में युवा आत्महत्या: जब दमनकारी परिस्थितियाँ व्यक्तियों को जीवन का परित्याग करने हेतु बाध्य कर देती हैं

संदर्भ

- राजस्थान में दो युवा बहनों की दुखद मृत्यु, जिन्हें अवांछित विवाहों के लिए बाध्य किया गया, एक चिंताजनक वास्तविकता को उजागर करती है और विशेषकर युवा महिलाओं में आत्महत्या के सामाजिक कारणों की जाँच की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत में युवाओं की आत्महत्या

- एनसीआरबी की भारत में आकस्मिक मृत्युएँ और आत्महत्याएँ रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 1.7 लाख से अधिक आत्महत्याएँ दर्ज होती हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।
- 15–29 वर्ष आयु वर्ग के युवा कुल आत्महत्याओं का एक बड़ा हिस्सा हैं। इस आयु वर्ग में आत्महत्या मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- 2022 में कुल आत्महत्याओं में से 7.6% छात्रों द्वारा की गई थीं।
- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आत्महत्या दर अधिक है, जो प्रायः उच्च विकास स्तर से जुड़ी होती है, जबकि बिहार जैसे गरीब राज्यों में दर अपेक्षाकृत कम है।

युवाओं की आत्महत्या के प्रमुख कारण

- **सामाजिक निर्धारक:** पारिवारिक दबाव और जबरन विवाह, लैंगिक भेदभाव और पितृसत्ता, जाति-आधारित बहिष्कार एवं भेदभाव, तथा आर्थिक तनाव और बेरोजगारी।
  - जबरन विवाह और संबंधों पर प्रतिबंध युवा महिलाओं में प्रमुख कारक हैं।
- **आकांक्षाएँ बनाम सामाजिक प्रतिबंध:** आधुनिक भारत विरोधाभास प्रस्तुत करता है और विशेषकर शिक्षित युवाओं में 'संरचनात्मक हताशा' उत्पन्न करता है।
  - युवा शिक्षा, करियर और संबंधों में स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते हैं;
  - समाज जाति, धर्म और लैंगिक भूमिकाओं पर कठोर मानदंड थोपता है।
- **कानूनी और संस्थागत अवरोध:** अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह, लिव-इन संबंध और समान-लैंगिक संबंधों पर औपचारिक/अनौपचारिक प्रतिबंध।
- **लैंगिक आयाम:** युवा महिलाएँ दोहरी उत्पीड़न का सामना करती हैं—परिवार का नियंत्रण और सामाजिक अपेक्षाएँ।
  - कम उम्र में विवाह, घरेलू हिंसा और 'सम्मान' आधारित मानदंड आत्महत्याओं में योगदान करते हैं।
  - 'सम्मान आत्महत्या' की अवधारणा (जबरन अनुरूपता से जुड़ी) उभर रही है।
- **संवैधानिक और नैतिक आयाम:** सामाजिक उत्पीड़न से प्रेरित आत्महत्याएँ 'सम्मान आत्महत्या' जैसी प्रतीत होती हैं, जो नैतिक रूप से 'सम्मान हत्या' के तुल्य हैं। ये उल्लंघन करती हैं:
  - अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार);
  - समानता और गरिमा के सिद्धांत।

अतिरिक्त जानकारी: डर्कहाइम का सिद्धांत (समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण)

- **एनोमिक सुसाइड:** तीव्र सामाजिक परिवर्तन के कारण; भारत की संक्रमणशील अर्थव्यवस्था में देखा जाता है जहाँ आकांक्षाएँ अवसरों से तेज़ी से बढ़ती हैं।
- **घातक आत्महत्या:** अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण के कारण; जबरन विवाह, कठोर पारिवारिक संरचनाएं और दमनकारी दुरुपयोग में देखा जाता है।

संबंधित नीतिगत उपाय

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और प्रयास करने वालों को पर्याप्त चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022):** भारत का प्रथम व्यापक आत्महत्या रोकथाम ढाँचा।
  - **लक्ष्य:** 2030 तक आत्महत्या दर में 10% कमी।
  - **प्रमुख क्षेत्र:** निगरानी एवं डेटा प्रणाली सुदृढ़ करना; मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार; साधनों (कीटनाशक, दवाएँ) तक पहुँच कम करना; और मीडिया के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):** 1982 में शुरू; भारत की मानसिक स्वास्थ्य नीति का मुख्य स्तंभ।
  - जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP);
  - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य का एकीकरण;
  - प्रारंभिक पहचान और उपचार पर ध्यान।
- **टेली-MANAS पहल (2022):** राष्ट्रीय 24×7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन; बहुभाषी परामर्श उपलब्ध कराती है; ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य।
- **मनोदर्पण पहल:** स्कूल/कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करती है।
- **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र:** आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध कराना।
- नशामुक्ति केंद्र और पुनर्वास सेवाएँ भी इसके अंतर्गत आती हैं।
- **यूजीसी दिशा-निर्देश:** विश्वविद्यालयों में अनिवार्य परामर्श केंद्र और कल्याण व तनाव प्रबंधन को बढ़ावा।

आगे की राह

- **मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना:** NMHP का प्रभावी क्रियान्वयन; स्कूल और कॉलेज आधारित परामर्श।
- **सामाजिक निर्धारकों का समाधान:** लैंगिक समानता और महिलाओं की स्वायत्तता को बढ़ावा; जाति-आधारित भेदभाव कम करना; और प्रतिगामी सामाजिक प्रथाओं में सुधार।
- **कानूनी और संस्थागत सुधार:** विवाह और संबंधों की स्वतंत्रता की रक्षा; अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संवैधानिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना।
- **युवा-केंद्रित विकास:** रोजगार सृजन, कौशल विकास, और युवाओं के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति स्थल।
- **सामुदायिक सहभागिता:** परिवारों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं को शामिल करना; कलंक कम करने हेतु जागरूकता अभियान।

केस स्टडी: चीन से सीख

- 1990 के दशक से चीन में आत्महत्या दर में गिरावट का श्रेय दिया जाता है:
  - तीव्र आर्थिक विकास;
  - शहरीकरण;
  - विशेषकर महिलाओं के लिए सामाजिक गतिशीलता में सुधार।
- यह इंगित करता है कि आत्महत्या रोकथाम के लिए केवल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ ही नहीं, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन भी आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

- भारत में युवाओं की आत्महत्या एक बहुआयामी संकट है, जो आधुनिक आकांक्षाओं और पारंपरिक प्रतिबंधों के बीच तनाव में निहित है।
- इसे केवल व्यक्तिगत समस्या के रूप में देखने के बजाय सामाजिक विफलता के रूप में मान्यता देना आवश्यक है।
- स्थायी समाधान स्वतंत्रताओं के विस्तार, गरिमा सुनिश्चित करने और सामाजिक संरचनाओं को भारत के युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने में निहित हैं।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में युवाओं की आत्महत्याओं को आकार देने में सामाजिक मानदंडों, पारिवारिक संरचनाओं और कानूनी ढाँचों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस समस्या के समाधान हेतु संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप उपाय सुझाइए।

Source: IE